**भारत सरकार**

**सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न सं. 109**

**सोमवार, 30 नवंबर, 2015/9 अग्रहायण, 1937 (शक)**

**पूरी हो गई परियोजनाओं की नीलामी**

109. श्री हरिवंश:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पूरी हो चुकी सड़क परियोजनाओं की नीलामी के पीछे सरकार की क्या मंशा है;

(ख) इस नीलामी प्रक्रिया से सरकार को क्या लाभ होगा और क्या विदेशी कंपनियां अपने लाभ के लिए अधिक पथकर वसूलेंगी; और

(ग) क्या मंत्रालय के पास बन चुकी सड़कों की नीलामी करने के अतिरिक्त राजस्व सृजन की कोई अन्य योजना नहीं है?

**उत्‍तर**

**सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्‍य मंत्री**

**(श्री पोन्. राधाकृष्‍णन)**

**(क) से (ग)** निजी क्षेत्र क्षमता और विशेषज्ञता के माध्‍यम से प्रयोक्‍ता शुल्‍क प्राप्‍तियों के संभावित संग्रहण के आधार पर पथकर-प्रचालन-हस्‍तांतरण (टीओटी) के माध्‍यम से पूरी की गई सार्वजनिक वित्‍त पोषित राष्‍ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के मुद्रीकरण के लिए प्रस्‍ताव मंत्रालय में सक्रिय रूप से विचाराधीन है । पूरी की गई राष्‍ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के ऐसे मुद्रीकरण के प्राप्‍त लाभ जो सरकार/प्राधिकरण को उपार्जित होगा, का उपयोग पूरे देश में राष्‍ट्रीय राजमार्गों के निर्माण और प्रचालन तथा हस्‍तांतरण के लिए किया जाएगा । राष्‍ट्रीय राजमार्ग शुल्‍क (दरों का निर्धारण और संग्रहण) नियमावली, 2008 और इसके संशोधनों के मौजूदा प्रावधानों के अनुसार नीलामी के बाद प्रयोक्‍ता शुल्‍क संग्रहीत किया जाएगा । वर्तमान में, प्रचालन-अनुरक्षण-हस्‍तांतरण (ओएमटी) विधि पर पूर्व-निर्धारित अवधि के लिए पथकर संग्रहण सहित प्रचालन और अनुरक्षण के लिए पूरी की गई राष्‍ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को निजी विकासकर्ताओं को बोली पर दिया जाता है ।

\*\*\*\*\*